



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022020-216002
CG-DL-E-07022020-216002

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 529]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 5, 2020/माघ 16, 1941

No. 529]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 5, 2020/MAGHA 16, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2020

का.आ. 567(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, चंडीगढ़ (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, चंडीगढ़ कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1.	श्री सृष्टि पाल वासुदेवा भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त), 5795, माडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, मणिमाजरा, चंडीगढ़।	- अध्यक्ष ;
2.	श्री जतिंदर सिंह कामयोत्रा भूतपूर्व निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डब्ल्यू जेड 169बी, गली नं.5, वरिंदर नगर, नई दिल्ली - 110058.	- सदस्य ;
3.	निदेशक पर्यावरण विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन।	- सदस्य सचिव।

2. प्राधिकरण, चंडीगढ़ का अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
3. प्राधिकरण, चंडीगढ़ ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों।
4. प्राधिकरण, चंडीगढ़, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र अपने विनिश्चय, पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की सिफारिशों के पश्चात् करेगा।
5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, चंडीगढ़ की सहायता करने के प्रयोजन के लिए चंडीगढ़ राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, चंडीगढ़ कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(1)	प्रो. सिबि जान सिविल इंजीनियरी विभाग, पंजाब इंजीनियरी कालेज, चंडीगढ़।	- अध्यक्ष;
(2)	प्रो. अमरीक सिंह अहलूवालिया वनस्पति विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ - 160014।	- सदस्य;
(3)	डा. संजय शर्मा (आचार्य और विभागाध्यक्ष), सिविल इंजीनियरी विभाग, 04, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और अनुसंधान परिसर, सेक्टर 26, चंडीगढ़।	- सदस्य;
(4)	मेजर जनरल सी.एस.बेवली 104, सेक्टर-36ए, चंडीगढ़-160036।	- सदस्य ;
(5)	प्रो. नवल किशोर भू-विज्ञान विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, जी-9, पंजाब विश्वविद्यालय परिसर, सेक्टर-14, चंडीगढ़-160014।	- सदस्य;
(6)	प्रो. परिपाडा भूनिया रसायन इंजीनियरी विभाग, थापर विश्वविद्यालय, बी-101, थापर तकनीकी परिसर, पटियाला-147004, पंजाब।	- सदस्य;
(7)	वैज्ञानिक 'बी' चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति, चंडीगढ़।	- सदस्य;
(8)	सुश्री संगीता बग्गा मेहता प्रधानाचार्य, आर्किटेक्टर कालेज, चंडीगढ़, मकान नं.5028, पीईसी परिसर, सेक्टर-12, चंडीगढ़।	- सदस्य;
(9)	डा. सुमन मोर सहायक आचार्य, पर्यावरण अध्ययन विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़।	- सदस्य;

(10)	डा.नीरज खत्री वैज्ञानिक और प्रधानाचार्य, जीवाणु संबंधी प्रौद्योगिकी संस्थान- पशु स्रोत और प्रयोग केन्द्र, (पशु सुविधा), जीवाणु संबंधी प्रौद्योगिकी संस्थान, सेक्टर 39-ए, चंडीगढ़।	- सदस्य;
(11)	वैज्ञानिक 'एसडी' पर्यावरण विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन।	-सचिव।

6. क्र.सं. (4) में यथा-उल्लिखित सदस्य अर्थात् मेजर जनरल सी.एस.बेवली 9 अगस्त, 2021 तक पद धारण करेंगे।
7. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, चंडीगढ़ के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
8. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, चंडीगढ़ ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।
9. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, चंडीगढ़ सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।
10. चंडीगढ़ सरकार प्राधिकरण, चंडीगढ़ और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, चंडीगढ़ के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और कानूनी कृत्यों के संबंध में सभी वित्तीय और संभार तंत्र सहायता, जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाएं हैं, उपलब्ध कराएगी।
11. प्राधिकरण, चंडीगढ़ और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, चंडीगढ़ के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता चंडीगढ़ राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदेय किया जाएगा।

[फा. सं. जे-11013/21/2007-आई.ए.II(I)]

अरविंद नौटियाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2020

S.O. 567(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Chandigarh (hereinafter referred to as the Authority, Chandigarh) comprising of the following Members, namely:—

- (1) Shri Srishti Pal Vasudeva
Indian Forest Service (Retired),
5795, Modern Housing Complex,
Manimajra, Chandigarh. -Chairman;
- (2) Shri Jatinder Singh Kamyotra
Ex. Director, Central Pollution Control Board,
WZ 169B, Street No. 5, Varinder Nagar,
New Delhi - 110058. -Member;

- (3) Director -Member Secretary.
Department of Environment,
Chandigarh Administration.

2. The Chairman and Members of the Authority, Chandigarh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Chandigarh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Chandigarh shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5 for the Union territory of Chandigarh.

5. For the purpose of assisting the Authority, Chandigarh, the Central Government in consultation with the Government of Chandigarh, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) (hereinafter referred to as SEAC, Chandigarh) comprising of the following Members, namely:—

- (1) Prof. Siby John -Chairman;
Department of Civil Engineering, Punjab Engineering, College,
Chandigarh.
- (2) Prof. Amrik Singh Ahluwalia -Member;
Department of Botany, Punjab University,
Chandigarh - 160014.
- (3) Dr. Sanjay Sharma -Member;
(Professor and Head),
Civil Engineer Department
04, National Institute of Technical Teachers Training and Research
Campus, Sec. 26, Chandigarh.
- (4) Maj Gen C S Bewli -Member;
104, Sector - 36 A,
Chandigarh - 160036.
- (5) Prof. Naval Kishore -Member;
Department of Geology,
Punjab University,
G-9, Panjab University Campus,
Sector 14, Chandigarh - 160014.
- (6) Prof. Haripada Bhunia -Member;
Department of Chemical Engineering,
Thapar University
B-101, Thapar Technical Campus,
Patiala - 147004, Punjab.
- (7) Scientist 'B' -Member;
Chandigarh Pollution Control Committee,
Chandigarh.
- (8) Ms. Sangeeta Bagga Mehta -Member;
Principal
Chandigarh College of Architecture,
House No. 5028, PEC, Campus,
Sector - 12, Chandigarh.
- (9) Dr. Suman Mor -Member;
Assistant Professor
Department of Environment Studies,
Punjab University, Chandigarh.
- (10) Dr. Neeraj Khatri -Member;

Principal Scientist and Head
Institute of Microbial Technology - Centre for Animal Resources and
Experimentation (Animal Facility),
Institute of Microbial Technology,
Sector 39-A, Chandigarh.

- (11) Scientist 'SD' -Secretary.
Department of Environment,
Chandigarh Administration.

6. The member as mentioned at serial number (4), ie Maj Gen C. S. Bewli, shall hold the post till 9th August, 2021.

7. The Chairman and Members of SEAC, Chandigarh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

8. The SEAC, Chandigarh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

9. The SEAC, Chandigarh shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. The Government of Chandigarh shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Chandigarh and SEAC, Chandigarh and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

11. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Chandigarh and SEAC, Chandigarh shall be paid as per the rules of the Government of Chandigarh.

[F.No. J-11013/21/2007-IA-II (I)]
ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.